न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा, फतेहपुर।

CNR No.–UPFT1200–2530–2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–368/2026

राज्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार यादव

मु०अ०सं०–96/2026
धारा– 281,125(b),324(4),
106(1) बी०एन०एस०
थाना–खागा, जनपद फतेहपुर।

दिनांक 02.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव की ओर से मु०अ०सं०–96/2026 धारा–281,125(b),324(4),106(1) बी०एन०एस०, थाना–खागा जनपद फतेहपुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया है। प्रार्थी ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये आरोप जमानतीय है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए अनुपस्थित हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव उपरोक्त मुकदमें में वांछित है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध जमानतीय है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु. 20,000/–बीस हजार का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाए।

दिनांक–02.06.2026

(शुभ्रा प्रकाश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाह्य न्यायालय खागा, फतेहपुर।
J.O.Code–UP3434